न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर (कैम्प डीग)

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 22/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/280

उनवान

1. दीनू पुत्र छुट्टू
2. गुम्मन पुत्र कमाल
3. सब्बू पुत्र कमाल
4. हलीमा पत्नी कमाल

   जातियान मेव निवासी ग्राम थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग।
5. जमीला पुत्री छुट्टू पत्नी अनवर जाति मेव निवासी ग्राम सिरोही तहसील पुन्हाना जिला नूंह मेवात हरियाणा
6. रमजान उर्फ टिटि पुत्र जहाजखां
7. मुहरू पुत्र जहाजखां
8. फज्जू पुत्र जहाजखां
9. कमरूद्दीन पुत्र रहमत
10. नसरू पुत्र मुंशी
11. मज्जी पुत्र मुंशी
12. सहजाद पुत्र सिरदार नवीरा मुंशी
13. ईमाला पुत्र सिरदार नवीरा मंशी
14. सरीफन पुत्री सिरदार नवीरी मुंशी
15. बिज्जी पुत्री सिरदार नवीरी मुंशी
16. हमीदी बेवा सिरदार

    जातियान मेव निवासी ग्राम थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग।

.....अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

1. साहब खां पुत्र कमला
2. फजरी बेवा सत्तार
3. नूरद्दीन पुत्र सत्तार
4. रफीक पुत्र सत्तार
5. नब्बी पुत्र कमला
6. बसीर पुत्र कमला
7. जुम्मी पत्नी दीनू
8. हनीफ
9. इब्रा
10. अनीस
11. नासर
12. सकील

पुत्रगण दीनू

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प डीग

13. गफारी बेवा हाकम
14. अरसद
15. जाविद } पुत्रगण हाकम
16. साकिर
17. आमिर पुत्र रहमान
18. हंसीरा पुत्र हाकम पत्नी रज्जाक जाति मेव निवासी ग्राम अल्लाहबख्स का वास तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला अलवर
19. सबनम पुत्री हाकम
20. समीना पुत्री हाकम
21. फौजू पुत्र रहमान
22. मुवीन पुत्र रहमान

जातियान मेव निवासी ग्राम थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग।

.....रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, पहाड़ी जिला डीग।
24. पंजाब नेशनल बैंक शाखा कठोल तहसील पहाड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

.....रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 237/2010 बउनवानी साहबखां वगै. बनाम छुट्टू वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 4, 6 से 8 एवं 10 लगायत 22 श्री मुकेश कुमार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 21.05.2026**

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी द्वारा मु.स. 237/2010 बउनवानी साहबखां वगै. बनाम छुट्टू वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का इस आशय से पेश किया था कि आराजी खसरा नम्बर 161/0.57, 1234/0.56, 1238/0.28, 1239/0.08, किता– 4 रकबा 1.49 हैक्टर बांके ग्राम थलचाना तहसील पहाडी स्थित है। उक्त विवादित आराजी मुतदाविया वादीगण के बुजुर्गान चाहत व प्रतिवादीगण के बुजुर्गान रहमत वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार थे। वादीगण के बुजुर्ग चाहत पुत्र आंधा उर्फ फूल खां उक्त आराजी मुतदाविया में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार था चाहत की मृत्यु के बाद चाहत का 1/2 हिस्सा उसके पुत्र कमला व रहमान बहैसियत वारिस वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हुये तथा कमला की मृत्यु के बाद कमला के वारिसान

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग

साहब खां, सत्तार, नब्बी, वसीर वादी संख्या 1 लगायत 4 कमला के हिस्से पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के बुजुर्ग रहमत पुत्र आंधा उर्फ फूल खां उक्त आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार था रहमत की मृत्यु के बाद उसके 1/2 हिस्सा पर उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 रहमत के हिस्से पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार के रूप में कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण विवादित आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर वहैसियत वारिस खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और जो इन्द्राज आराजी मुतदाविया की बाबत अकेले प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज चला आ रहा है। वदी वजह वादीगण ने दावा पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी मुतदाविया का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य किया जाकर अलग–अलग राज लगान व अलग–अलग जमाबन्दी कायम की जावें एवं विवादित आराजी पर हो रहे गलत इन्द्राजों को कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण के साथ वादीगण को 1/2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.08.2024 को दावा वादीगण डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 4, 6 से 8 एवं 10 लगायत 22 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल सम्वत 1988 की जमाबन्दी को ही आधार मानते हुए एवं सम्वत 1988 की खुदकाश्त की प्रविष्टि के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1, 2, 3 का जो निर्णय रेस्पोडेन्ट/वादीगण के पक्ष में पारित करते हुये उन्हें विवादित खसरा नं. 161/0.57, 1234/0.56, 1238/0.28, 1239/0.08 स्थित ग्राम थलचाना तहसील पहाडी का हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किये जाने एवं उक्त आराजी को रेस्पोडेन्ट/वादीगण के पूर्वज चाहत पुत्र अन्धा की खुदकाश्त की आराजी मानने में भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। तनकी संख्या 1 लगायत 3 को वादीगण/रेस्पोडेन्ट ने अदालत तहत के समक्ष अपने पक्ष में साबित नहीं किया लेकिन न्यायालय तहत द्वारा गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट/वादीगण के पक्ष में उक्त तनकीयात को साबित मानकर कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय जेर अपील पारित किया है। वादीगण ने अपने अभिवचनों में यह दर्ज किया है कि विवादित आराजी उनके बुजुर्ग चाहत पुत्र अन्धा की हिस्सा 1/2 व रहमत पुत्र अन्धा की हिस्सा 1/2 की आराजी थी जिसे बाद में प्रतिवादीगण के पूर्वज रहमत पुत्र अन्धा के नाम दर्ज कर दिया। इसके विपरीत प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अपने जबाव में यह दर्ज किया है कि विवादित आराजी से वादीगण के पूर्वज चाहत का कोई सम्बन्ध नहीं था बल्कि उक्त आराजी शुरू से ही रहमत पुत्र अन्धा की खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी थी जिसपर राजस्थान काश्तकार अधिनियम प्रभाव में आने के समय से पूर्व से ही रहमत पुत्र अन्धा बतौर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प डीग

खुदकाश्त काबिज होकर काश्त करता था और कानूनन उक्त आराजी रहमत की खुदकाश्त के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम वाहैसियत खातेदार चली काश्त व खातेदारी की आराजी है। निर्णय एवं डिक्री जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं। न्यायालय तहत द्वारा अपने निर्णय में तनकी संख्या 2 की विवेचना में नामांतकरण सं0 247 की गलत विवेचना की है जबकि नामान्तकरण सं० 247 में विवादित आराजी खसरा नम्बरान दर्ज रिकौर्ड नहीं है बल्कि अन्य आराजीयात दर्ज है। इसके अलावा न्यायालय तहत द्वारा नामान्तकरण सं0 247 प्रदर्श 8 पर कतई गौर नहीं किया जिसमें विवादित आराजी को रहमत पुत्र अन्धा की खातेदारी की दर्ज है । इसके अलावा रेस्पोडेन्ट/वादीगण ने विवादित आराजी का मिलान क्षेत्रफल भी पेश नहीं किया और अपूर्ण दस्तावेजात के आधार पर निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित किये गये हैं जिसमें कोई विधिवत विवेचना नहीं की गई हैं। ऐसी सूरत में निर्णय व डिक्री जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं। तनकी संख्या 4 के द्वारा न्यायालय तहत ने अपीलांट/प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने में भारी त्रुटि की है। कानूनन एक खातेदार काश्तकार को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी शुरू से ही अपीलांट / प्रतिवादीगण की खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी रही है और वर्तमान राजस्व रिकौर्ड में भी अपीलांट वाहिद रूपसे उक्त आराजी पर काबिज बतौर खातेदार काश्तकार हैं। तनकी सख्या 4 का निर्णय रेस्पो०/वादीगण के विरूद्ध किया जाना चाहिए था।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील, अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक–28.08.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पहाडी जिला डीग व मुकदमा उनवानी साहबखां वगै० बनाम छुट्टू वगै०, दावा अंतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट, मु० नं0 237/2010 निरस्त फरमाये जाकर दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे ।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट वादीगण के बुजुर्गान चाहत व प्रतिवादीगण अपीलान्ट के बुजुर्गान रहमान वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार थे। वादीगण के बुजुर्ग चाहत पुत्र आंधा उर्फ फूल खां उक्त आराजी मुतदाविया में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार था चाहत की मृत्यु के बाद चाहत का 1/2 हिस्सा उसके पुत्र कमला व रहमान बहैसियत वारिस वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हुये तथा कमला की मृत्यु के बाद कमला के वारिसान साहब खां, सत्तार, नब्बी, बसीर वादी संख्या 1 लगायत 4 कमला के हिस्से पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे थे। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के बुजुर्ग रहमत पुत्र आंधा उर्फ फूल खां उक्त आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार था रहमत की मृत्यु के बाद उसके 1/2 हिस्सा पर उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 रहमत के हिस्से पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार के रूप में कब्जा काश्त करते चले आ रहे थे। वादीगण विवादित आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर वहैसियत वारिस खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज आराजी मुतदाविया की बाबत अकेले प्रतिवादीगण के नाम कर दिया गया जो कतई गलत था। विवादित आराजी सन् 1988 में दोनों की खुदकाश्त की आराजी थी तथा दोनों अलग–अलग काश्त करते थे एवं उसी अनुसार अलग–अगल आ गए। विवादित आराजी नामान्तरकरण सं. 247 में दोनों भाईयों के नाम दर्ज है। जिससे पता लगता है कि सन् 1988 की जमाबन्दी में उक्त विवादित आराजी शामलाती थी, दोनों भाई साथ–साथ काश्त कर रहे थे। जिसके बाद विवादित आराजी का नामान्तकरण सं. 247

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प डीग

में एलोट कर दिया गया जिसके बाद आगे की जमावंदीयों में चाहत की जमीन पर चाहत को एवं रहमत की जमीन पर रहमत को एलोटी अंकित कर दिया। विवादित आराजी प्रतिवादी अपीलान्ट को अकेले कैसे आवंटित हो सकती है। चारों खसरा नम्बर केवल प्रतिवादीगण अपीलान्ट को कैसे मिल सकते हैं। जहां भाईयों का मामला है वहां कब्जा नहीं देखा जा सकता है। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर पैतृक जायदाद को प्रतिवादी अपीलान्ट के अकेले के नाम कर दी गई। जबकि उक्त विवादित आराजी शुरु से ही पैतृक आराजी/जायदाद रही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का निर्णय राजस्व रिकार्ड देख कर उसी अनुरुप किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रुप से सही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 17.09.2024 को पेश की गई है, जो अन्दर मियाद है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– आया आराजी मुत० चाहत व रहमत पिसरान आंधा उर्फ फूल खां की खुद काश्त की आराजी थी।

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 3 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाता कायम कराकर पृथक–पृथक राज लगान कायम करा पाने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 4 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है।

तनकी संख्या 5 :– आराजी तहसीलदार पहाडी को दफा 80 जा०दी० का नोटिस नहीं दिया गया है। इसलिये दावा वादी काबिले खारिजी के है।

तनकी संख्या 6 :– आया न्यायालय श्रीमान को मुकदमा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी मुत० चाहत व रहमत पिसरान आंधा उर्फ फूल खां की खुद काश्त की आराजी थी।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा इस तनकी को साबित करने के लिये खेवट खतौनी सम्वत 1988 में आराजी खसरा नम्बर 420 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 409 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, 418 रकबा 19 बिस्वा, 1234 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 1238 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 239 रकबा 10 बिस्वा, आराजी खसरा नम्बर 22 रकबा 18 बिस्वा, 35 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 161 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा 167 रकबा 12 बिस्वा, 576 रकबा 7 बिस्वा, 579 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 1157 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 1140 रकबा 5 बिस्वा, कुल नम्बर 14 कुल रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा चाहत व रहमत पिसरान आंधा उर्फ फूल खाँ कौम मेव के नाम खुद काश्त का इन्द्राज दर्ज है। जिससे स्पष्ट रूप से साबित है कि विवादित आराजी मुतदाविया चाहत व रहमत की खुद काश्त होना साबित है। अतः तनकी संख्या 1 वापक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प डीग

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किए जाने पर दावे में प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने के उपरान्त उनके द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किए जाने के उपरान्त दिनांक 11.10.2006 को तनकीयात कायम की गयी। पत्रावली पर दिनांक 16.04.2024 को प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रार्थी महबूब पुत्र गोपाली द्वारा पेश किया गया है जो उपलब्ध है। आदेशिका दिनांक 16.04.2024 के अनुसार प्रार्थी महबूब की ओर से श्री जगदीश प्रसाद लोधा एड. ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश किया। आदेशिका दिनांक 08.05.2024 के अनुसार बहस प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सुनकर उक्त प्रार्थना–पत्र 1000/– की कॉस्ट पर स्वीकार किया गया है।

दिनांक 09.05.2024 को महबूब द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। जो भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है एवं आदेशिका दिनांक 09.05.2024 में यह अंकित है कि जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर दिनांक 21.05.2024 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. वादीगण की ओर से पेश किया गया है। आदेशिका दिनांक 21.05.2024 को यह अंकन किया गया है कि जवाब काउन्टर क्लेम को समय चाहा, पत्रावली दिनांक 21.05.2024 को पेश हो। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में स्वीकृत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकृत कर महबूब पुत्र भोपाली को मुकदमा पक्षकार बनाया है एवं उसके द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम को पत्रावली पर रिकार्ड पर लिया है। साथ ही दिनांक 21.05.2024 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का निर्णय किये बिना ही सीधे बहस सुनकर वादपत्र का अन्तिम निर्णय पारित कर दिया वह कतई विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकृत कर वादपत्र प्र.स. 237/10 में ही पक्षकार बनाया है, बनाये गए पक्षकार द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम का पत्रावली पर रिकार्ड पर लिया गया है एवं वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र द्वारा इसका सम्बन्ध इस वाद से नहीं होना अंकित किया है। जिसका भी निस्तारण नहीं किया गया है जो कि किया जाना आवश्यक था क्योंकि उक्त सभी रिकार्ड पर लिए जा चुके हैं एवं वादपत्र का अन्तिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी के निस्तारण के बिना ही कर दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी, महबूब द्वारा पेश जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी का निस्तारण करने के उपरान्त ही इस तनकी का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी संख्या 2 :– आया वादीगण आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्सा पर (डीग) वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में 1/2 हिस्सा पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड खेवट खतौनी सम्वत 1988 व 2019 से 2022 के जमाबन्दी के कॉलम नम्बर 16 में इन्तकाल नम्बर 247 से विवादित आराजी मुतदाविया चाहत व रहमत के नाम इन्द्राज दर्ज होना साबित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प डीग

है व वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से भी आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर वादीगण का कब्जा व काश्त होना प्रमाणित होता है प्रतिवादीगण द्वारा जो अपनी साक्ष्य पेश की गई है वह विश्वसनीय नहीं है वादीगण आराजी मुतदाविया के 1/2 हिस्से पर अपना कब्जा साबित करने में सफल रहे है। अतः तनकी संख्या 2 वापक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित तनकी सं. 1 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय पाया गया है इसलिए उक्तानुसार तनकी सं. 2 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी संख्या 3 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण आराजी मुतदाविया का विभाजन कराकर राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक खाता कायम कराकर पृथक–पृथक राज लगान कायम करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 3 तनकी संख्या 1 व 2 की पूरक है तनकी संख्या 1 व 2 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है इसलिये तनकी संख्या 3 वापक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

तनकी सं. 1 व 2 के निर्णयानुसार ही तनकी सं. 3 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 4 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी संख्या 4 :– आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पावन्द करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 4 तनकी संख्या 1,2,3 की पूरक है तनकी संख्या 1.2.3 को वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है इसलिये अतः तनकी संख्या 4 वापक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाकर प्रतिवादीगण को पावन्द किया जाता है कि वह वादीगण के 1/2 हिस्सा आराजी मुतदाविया में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत करने से पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिये तनकी संख्या 4 वापक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 4 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1,2,3 का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय पाया गया है। इसलिए तनकी सं. 4 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 5 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी संख्या 5 :– आराजी तहसीलदार पहाडी को दफा 80 जा०दी० का नोटिस नहीं दिया गया है। इसलिये दावा वादी काबिले खारिजी के है।

इस तनकी के समर्थन में वादीगण का जो कथन कि दफा 80 जा०दी० नोटिस का ऐतराज उठाने का अधिकार सम्बन्धित पक्षकार को है अन्य किसी प्रतिवादी को दफा 80 जा०दी० नोटिस पर ऐतराज उठाने का अधिकार नहीं होने के कथन को स्वीकार किया जाता है। इसलिये तनकी संख्या 5 वापक्ष वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 5 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प डीग

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी का निर्णय विधिसम्मत नही किया गया है। इसलिए तनकी सं. 5 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 6 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार किया गया है :–

तनकी संख्या 6 :– आया न्यायालय श्रीमान को मुकदमा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

वादीगण द्वारा आराजी मुतदाविया के संबंध में खुद काश्त के इन्द्राज के आधार पर खातेदारी का दावा पेश किया है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है अन्य किसी न्यायालय को नहीं है। इसलिये तनकी संख्या 6 वापक्ष वादीगण निर्णित की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 6 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तनकीयों का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय पाया गया है। इसलिए उक्तानुसार तनकी सं. 6 का निर्णय भी पुनः किया जाना वांछनीय है।

इस प्रकार सम्पूर्ण स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकृत कर वादपत्र प्र.स. 237/10 में ही पक्षकार बनाया है, बनाये गए पक्षकार द्वारा जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम का पत्रावली पर रिकार्ड पर लिया गया है एवं वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र द्वारा इसका सम्बन्ध इस वाद से नहीं होना अंकित किया है। जिसका भी निस्तारण नहीं किया गया है जो कि किया जाना आवश्यक था क्योंकि उक्त सभी रिकार्ड पर लिए जा चुके हैं एवं वादपत्र का अन्तिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया जो विधिसम्मत नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी, महबूब द्वारा पेश जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी का निस्तारण करने के उपरान्त ही इस तनकी का निर्णय पुनः किया जाना वांछनीय है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश व डिक्री दिनांक 28.08.2024 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी, महबूब द्वारा पेश जबाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी का निस्तारण करते हुए, उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, साक्ष्य, सबूत लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी के समक्ष दिनांक 19.06.2026 को पेश होवें।
9. निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
10. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
11. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर